प्रेस नोट-थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 01.11.2026

थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा 672 ग्राम चरस (सुल्फा) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार,मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी एवं जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी, चिन्हित अपराधियों की तलाश, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों की रोकथाम तथा अफीम एवं चरस के अवैध निर्माण/बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व गश्त के दौरान थाना तिलहर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.10.2026 को थाना तिलहर पुलिस टीम क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल ढकिया रघा पुल के पास पहुंचकर समय 16:23 बजे अभियुक्त राजू वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर निवासी ग्राम बराह मोहब्बतपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 672 ग्राम चरस (सुल्फा), एक अदद OPPO कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा एक अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त मादक पदार्थ किसी अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त कर एक अज्ञात बाबा को देने हेतु लाना बताया गया। बरामदगी के आधार पर थाना तिलहर पर मु०अ०सं० 569/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम राजू वर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सादर सूचनार्थ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजू वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर निवासी ग्राम बराह मोहब्बतपुर थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

दिनांक 31.10.2026 को समय 16.23 बजे ढकिया रघा पुल के पास से शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 569/26 धारा 8/20 NDPS ACT थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 672 ग्राम चरस (सुल्फा)।
2. 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (ओपो कंपनी, रंग काला)।
3. 01 अदद मोटरसाइकिल (धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज)।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त राजू वर्मा द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त चरस (सुल्फा) उसने गांव में बाहर से आए एक अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त की थी, जिसे उसे एक अज्ञात बाबा को देना था। उक्त बाबा से उसकी मुलाकात एक दिन पूर्व डडिया बाजार में हुई थी तथा चरस देने के लिए दिनांक 31.10.2026 को अपराह्न करीब 04:00 बजे ढकिया रघा पुल के पास मिलने का समय तय हुआ था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह बाबा के आने का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री प्रभाष चन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
2. श्री रमेश वर्मा उप निरीक्षक थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
3. हे0का0 संजीव कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. कां0 अनिल कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर ।
5. कां0 हेमन्त कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर ।